COMMONWEALTH OMBUDSMAN
OVERSEAS STUDENTS

अंतर्राष्ट्रीय छात्र - कक्षाओं में उपस्थिति

यह तथ्य पत्रक आपके छात्र वीज़ा की शर्तों को पूरा करने के लिए **संतोषजनक उपस्थिति बनाए रखने** और Department of Home Affairs को सूचित किए जाने की स्थिति पैदा न होने के बारे में है। यदि आप ऑस्ट्रेलिया में एक निजी पंजीकृत शिक्षा प्रदाता के साथ अध्ययन कर रहे/रही हैं, तो इस तथ्यपत्रक में राष्ट्रमंडल लोकपाल (Commonwealth Ombudsman) से **शिकायत करने के आपके अधिकार** के बारे में जानकारी दी गई है।

मेरे लिए संतोषजनक उपस्थिति बनाए रखना क्यों आवश्यक है?

सभी प्राथमिक छात्र वीज़ा धारकों के लिए एक **अनिवार्य वीज़ा शर्त**)8202) लागू होती है। इस शर्त के अनुसार आपको अपने पाठ्यक्रम में प्रत्येक अध्ययन अवधि के लिए आपके शिक्षा प्रदाता द्वारा नियत की गई *संतोषजनक उपस्थिति बनाए रखना* अन्य आवश्यकताओं के) अतिरिक्त (अनिवार्य होता है।

कृपया ध्यान दें कि यदि आप उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र)Higher Education sector (में अध्ययन कर रहेरही/ हैं, तो आपके प्रदाता को आपकी उपस्थिति की निगरानी और इसके बारे में सूचित करने की आवश्यकता नहीं होती है। कृपया पाठ्यक्रम में प्रगति के बारे में हमारा तथ्य पत्रक देखें।

यदि आपकी परिस्थितियाँ बदल जाएँ, उदाहरण के लिए यदि आप बीमार पड़ जाएँ या आपको ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़े जो आपके अध्ययन को प्रभावित कर सकती हैं ,तो आपके लिए इनके बारे में अपने शिक्षा प्रदाता को सूचित करना आवश्यक होता है।

अगर कक्षाओं में मेरी उपस्थिति पर्याप्त न हो, तो क्या होगा?

कई शिक्षा प्रदाताओं के लिए संतोषजनक उपस्थिति बनाए रखने में असफल रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्र/छात्राओं के बारे में Department of Education, Skills and Employmentऔर Department of Home Affairs को सूचित करना आवश्यक होता है।

अपने पाठ्यक्रम की उपस्थिति आवश्यकताओं के बारे में जानकारी के लिए **अपने शिक्षा प्रदाता की नीतियाँ और प्रक्रियाएँ देखें।**

क्या मुझे पहले कोई चेतावनी दी जाएगी?

हाँ। सभी शिक्षा प्रदाताओं को उपस्थिति की आवश्यकताएँ पूरा करने में असफल रहने के जोखिम वाले छात्र/छात्राओं की पहचान करना, उनसे संपर्क करना और उनके लिए एक हस्तक्षेप कार्यनीति उपलब्ध कराना आवश्यक होता है।

हमसे संपर्क करें

ombudsman.gov.au
1300 362 072

GPO Box 442
Canberra ACT 2601

आपको अपने प्रदाता के पास शिकायत और अपील करने का अधिकार प्राप्त है और फिर शिकायतों का समाधान करने वाले एक बाहरी स्वतंत्र निकाय के पास शिकायत करने का अधिकार प्राप्त है

राष्ट्रमंडल लोकपाल शिकायतों का समाधान करने वाला एक स्वतंत्र निकाय है

राष्ट्रमंडल लोकपाल एक निःशुल्क सेवा है

क्या आपने हमारा वीडियो देखा है? इसे देखने के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करें

यदि मुझे रिपोर्ट किए जाने के उद्देश्य की सूचना (Notice of Intention to Report) मिलती है, तो मैं क्या कर सकता/सकती हूँ?

यदि आप अपने शिक्षा प्रदाता से चेतावनी मिलने के बाद भी संतोषजनक उपस्थिति प्राप्त करने में असफल रहते/रहती हैं, तो प्रदाता के लिए आपको इस बारे में सूचित करना आवश्यक होगा कि वह Department of Home Affairs के पास आपकी रिपोर्ट करने का उद्देश्य रखता है। आपके पास अपने प्रदाता के समक्ष अपील दायर करने का अधिकार है और यदि आप परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं, तो आपके पास एक स्वतंत्र शिकायत निकाय के पास शिकायत दर्ज करने का भी अधिकार है।

शिकायत और अपील प्रक्रिया के दौरान आपके प्रदाता को आपकी रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए।

मैं अपने शिक्षा प्रदाता के निर्णय के बारे में शिकायत कैसे कर सकता/सकती हूँ?

यदि आप एक **निजी शिक्षा प्रदाता** के साथ अध्ययन करने वाले/वाली एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र/छात्रा हैं, तो अपने प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई शिकायत और अपील प्रक्रिया पूरी कर लेने के बाद आप राष्ट्रमंडल लोकपाल (Commonwealth Ombudsman) के पास शिकायत कर सकते/सकती हैं।

लोकपाल (Ombudsman) ऑस्ट्रेलिया में निजी स्कूलों, कॉलेजों या विश्वविद्यालयों (शिक्षा प्रदाताओं) के साथ भविष्य में अध्ययन करने के इच्छुक, वर्तमान में अध्ययन करने वाले, या भूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय छात्र/छात्राओं को होने वाली समस्याओं के बारे में शिकायतों की जांच करते हैं। आप हमारा फॉर्म ऑनलाइन भर सकते/सकती हैं या हमें **1300 362 072** पर फोन कर सकते/सकती हैं। शिकायत करने और हमसे संपर्क करने के बारे में और अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट **ombudsman.gov.au** पर जाएँ।

यदि आप एक **सार्वजनिक (सरकारी) शिक्षा प्रदाता** के साथ अध्ययन करने वाले/वाली एक अंतर्राष्ट्रीय या घरेलू छात्र/छात्रा हैं, तो आप उपयुक्त राज्य या राज्य-क्षेत्र लोकपाल (state or territory ombudsman)[1] के पास शिकायत कर सकते/सकती हैं।

यदि मैं लोकपाल (Ombudsman) के पास शिकायत करता/करती हूँ, तो क्या ऐसा करने से मेरे प्रदाता को Department of Home Affairs के पास मेरी रिपोर्ट करने में बाधा होगी?

लोकपाल (Ombudsman) द्वारा आपकी शिकायत की जांच करते समय आपके प्रदाता को आपकी रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए। आपकी शिकायत की जांच शुरू और समाप्त करने पर लोकपाल (Ombudsman) आपको और आपके प्रदाता को इसके बारे में सूचित करेंगे।

जांच के परिणाम के आधार पर:

- आपके प्रदाता को अभी भी आपकी रिपोर्ट करने की आवश्यकता हो सकती है, या
- लोकपाल (Ombudsman) यह सलाह दे सकते हैं कि प्रदाता आपकी रिपोर्ट न करे।

यदि Department of Home Affairs के पास मेरी रिपोर्ट की जाती है, तो क्या होगा?

यदि आपको यह सूचना दी जाती है कि आपके प्रदाता ने आपकी रिपोर्ट की है, तो आपके वीज़ा को निरस्त किए जाने के बारे में विचार किया जा सकता है। आपके वीज़ा के निरस्तीकरण (cancellation) के बारे में विचार किए जाने की स्थिति में Department of Home Affairs आपको एक नोटिस भेजेगा जिसमें आपको अपनी परिस्थिति के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने का अवसर दिया जाएगा। आपकी परिस्थितियों के बारे में इस जानकारी को ध्यान में रखा जाएगा। आपको Department of Home Affairs द्वारा दी गई समय सीमा के अंदर उत्तर देना होगा, अन्यथा आपके वीज़ा को निरस्त किया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने संपर्क विवरण अद्यतित रखें और अपने वीज़ा की शर्तों का अनुपालन जारी रखना सुनिश्चित करें। आप वेबसाइट *homeaffairs.gov.au* पर ऑस्ट्रेलिया में अध्ययन करने के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते/सकती हैं।

[1] http://www.ombudsman.gov.au/what-we-do

मेरी सहायता और कौन कर सकता है?

आप हमारी वेबसाइट पर अपनी सहायता करने में सक्षम अन्य संगठनों के लिए उपयोगी कड़ियों[2] की सूची देख सकते/सकती हैं।

और अधिक जानकारी वेबसाइट **ombudsman.gov.au** पर उपलब्ध है।

कृपया ध्यान दें: इस प्रपत्र का उद्देश्य केवल एक निर्देशिका के रूप में मार्गदर्शन करना है। इसलिए व्यक्तिगत मामलों में इस जानकारी पर कानूनी सलाह के रूप में या कानूनी सलाह के एक विकल्प के रूप में निर्भर नहीं किया जाना चाहिए। राष्ट्रमंडल लोकपाल कानून द्वारा अनुमत अधिकतम सीमा तक इस प्रपत्र पर निर्भरता के परिणामस्वरूप आपको होने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। उद्धृत अधिनियमों के सबसे अद्यतित संस्करणों के लिए कृपया Federal Register of Legislation देखें।

[2] http://www.ombudsman.gov.au/How-we-can-help/overseas-students/useful-links